न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 202/2014 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2014/00214**
दायर दिनांक :– 01.05.2014 **निर्णय दिनांक :– 10.12.2024**

1. किसनाराम पुत्र मिश्रीराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी मटोलचक तहसील फलोदी
2. बीरबलराम पुत्र मिश्रीराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी मटोलचक तहसील फलोदी
3. भंवरलाल पुत्र मिश्रीराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी मटोलचक तहसील फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. हड़मानराम पुत्र अन्नाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. छगना पत्नी हरचन्दराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. बिड़दाराम पुत्र हरचन्दराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. भाखरराम पुत्र हरचन्दराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. किसनाराम पुत्र मेहराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. जीवनराम पुत्र मेहराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
7. दौलाराम पुत्र मेहराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
8. गोरधनराम पुत्र मेहराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
9. हजारीराम पुत्र गोमाराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री जगदीशचन्द्र विश्नोई अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1063 रकबा 182–04 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे

10/12/24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1063 रकबा 182–04 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1063 रकबा 19.6596 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	बीरबलराम पुत्र मिश्रीराम 1/3 हिस्सा, भंवरलाल पुत्र मिश्रीराम 1/3 हिस्सा, धायलदेवी पत्नी किशनाराम 1/18 हिस्सा, अर्जुनराम पुत्र किशनाराम 1/18 हिस्सा, जगराम पुत्र किशनाराम 1/18 हिस्सा, सायरी पुत्री किशनाराम 1/18 हिस्सा, कमला पुत्री किशनाराम 1/18 हिस्सा, तीजा पुत्री किशनाराम 1/18 हिस्सा जाति विश्नोई सा. मटोल चक तह. फलोदी खातेदार	कानासर	1063	3.2766 हैक्टेयर	बी–4

10/1/24 ...क्टर (फलोदी)

2	बिड़दा पुत्र हरचंद 1/10 हिस्सा, भाखर पुत्र हरचंद 1/10 हिस्सा रहन यूको बैंक शाखा बाप, किशनाराम पुत्र मेहराम 3/20 हिस्सा, जीवणराम पुत्र मेहराम 3/20 हिस्सा रहन यूको बैंक शाखा बाप, दोलाराम पुत्र पुत्र मेहराम 3/20 हिस्सा रहन यूको बैंक शाखा बाप, गोरधनराम पुत्र मेहराम 3/20 हिस्सा रहन जो.स.भू.वि. बैंक शाखा फलोदी, सकनादेवी पत्नी अनाराम 1/20 हिस्सा, हनुमानराम पुत्र अनाराम 1/20 हिस्सा, हीरादेवी पुत्री अनाराम 1/20 हिस्सा, पपुड़ी पुत्री अनाराम 1/20 हिस्सा जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	कानासर	1063	16.3830 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/12/24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. किसनाराम पुत्र मिश्रीराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी मटोलचक तहसील फलोदी
2. बीरबलराम पुत्र मिश्रीराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी मटोलचक तहसील फलोदी
3. भंवरलाल पुत्र मिश्रीराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी मटोलचक तहसील फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. हड़मानराम पुत्र अन्नाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. छगना पत्नी हरचन्दराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. बिड़दाराम पुत्र हरचन्दराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. भाखरराम पुत्र हरचन्दराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. किसनाराम पुत्र मेहराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. जीवनराम पुत्र मेहराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
7. दौलाराम पुत्र मेहराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
8. गोरधनराम पुत्र मेहराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
9. हजारीराम पुत्र गोमाराम विश्नोई निवासी हनुमान नगर नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 202/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर जगदीशचन्द्र विश्नोई मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1063 रकबा 19.6596 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	बीरबलराम पुत्र मिश्रीराम 1/3 हिस्सा, भंवरलाल पुत्र मिश्रीराम 1/3 हिस्सा, धायलदेवी पत्नी किशनाराम 1/18 हिस्सा,	कानासर	1063	3.2766 हैक्टेयर	बी–4

10/12/24

कलेक्टर

(फलोदी)

	अर्जुनराम पुत्र किशनाराम 1/18 हिस्सा, जगराम पुत्र किशनाराम 1/18 हिस्सा, सायरी पुत्री किशनाराम 1/18 हिस्सा, कमला पुत्री किशनाराम 1/18 हिस्सा, तीजा पुत्री किशनाराम 1/18 हिस्सा जाति विश्नोई सा. मटोल चक तह. फलोदी खातेदार				
2	बिड़दा पुत्र हरचंद 1/10 हिस्सा, भाखर पुत्र हरचंद 1/10 हिस्सा रहन यूको बैंक शाखा बाप, किशनाराम पुत्र मेहराम 3/20 हिस्सा, जीवणराम पुत्र मेहराम 3/20 हिस्सा रहन यूको बैंक शाखा बाप, दोलाराम पुत्र पुत्र मेहराम 3/20 हिस्सा रहन यूको बैंक शाखा बाप, गोरधनराम पुत्र मेहराम 3/20 हिस्सा रहन जो.स.भू.वि. बैंक शाखा फलोदी, सकनादेवी पत्नी अनाराम 1/20 हिस्सा, हनुमानराम पुत्र अनाराम 1/20 हिस्सा, हीरादेवी पुत्री अनाराम 1/20 हिस्सा, पपुड़ी पुत्री अनाराम 1/20 हिस्सा जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	कानासर	1063	16.3830 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.12.2024 को जारी की गई।

10.12.24

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।